

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 254 सन 2020

अनवान :-

1. द्वारका प्रसाद पुत्र डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. डालुराम पुत्र राजुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रुधनाथ पुत्र डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. प्रार्वती पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. मीरा पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. भाग्यवती पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. मजु पुत्री स्व चन्द्रावली पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राकेश पुत्र स्व चन्द्रावली पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. श्यामसुन्दर स्व चन्द्रावली पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 115/111 की कुल 2,04,90 हैक व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 165/169 की कुल 13,94,80 हैक रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 62/63 की कुल 3,55,40 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा राजुराम वल्द जग्गूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा राजुराम वल्द जग्गूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा राजुराम वल्द जग्गूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री चन्द्रावली के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिफ्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता राजूराम वल्द जग्गूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 115/111 की कुल 2.0490 हैक् व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 165/169 की कुल 13.9480 हैक् रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 62/63 की कुल 3.5540 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा राजूराम वल्द जग्गूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा राजूराम वल्द जग्गूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा राजूराम वल्द जग्गूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री चन्दावली के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 115/111 की कुल 2.0490 हैक् व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 165/169 की कुल 13.9480 हैक् रोही मौजा राणीसर के खाता

अध्यक्ष अधिकारी (राजस्व)
मौहूर (ठडुमानाजद)

संख्या 62/63 की कुल 3.5540 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु०प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि राजूराम वल्द जग्गूराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा राजूराम वल्द जग्गूराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा राजूराम वल्द जग्गूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 115/111 की कुल 2.0490 हेक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 165/169 के खसरा संख्या 535 की 3.8320 हेक्टर व खसरा संख्या 536/1 की 1.7700 हेक्टर भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 62/63 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्या डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. द्वारका प्रसाद पुत्र डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. डालुराम पुत्र राजुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रुघनाथ पुत्र डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. प्रार्वती पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. मीरा पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. भाग्यवती पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री स्व चन्द्रावली पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राकेश पुत्र स्व चन्द्रावली पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. श्यामसुन्दर स्व चन्द्रावली पुत्री डालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 254 सन 2022 निर्णय दिनांक-12/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साध्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 115/111 की कुल 2.0490हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 165/169 के खसरा संख्या 535 की 3.8320हैक व खसरा संख्या 536/1 की 1.7700हैक भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 62/63 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्या डिक्री आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)